

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 124/2024

अनवान : -

1. कुलदीप पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा



बनाम

1. भूपसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
2. प्रदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
3. गोरान्देवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी खचवाना त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी  
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी  
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 डीपीएन के खाता सं० 125/47 की कुल 2.0240 है० प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता सं० 122/47 की कुल 0.1810 है० में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादीगण के साथ-साथ वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।



*[Handwritten Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 6 डीपीएन के खाता सं० 125/47 की कुल 2.0240है० प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता सं० 122/47 की कुल 0.1810है० में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम चक 7 डीपीएन के खाता सं० 136/37 की कुल 0.6960है० अन्य कृषि भूमि दर्ज है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा 6 डीपीएन के खाता सं० 125/47 की कुल 2.0240है० प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता सं० 122/47 की कुल 0.1810है० में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीप व प्रतिवादी सं० 2 प्रदीप कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।



(ओ.पी.) मन्दीलिया 12-08-24  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.  
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस  
मि०न० - 124 / 2024

अनवान : -

1. कुलदीप पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी खयवाना त० भादरा।


वादी

- | वनाम   |
|--|
| 1. भूपसिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी खयवाना त० भादरा।     |
| 2. प्रदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी खयवाना त० भादरा। |
| 3. गोरदेवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी खयवाना त० भादरा।      |
| 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।            |

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 डीपीएन के खाता सं० 125 / 47 की कुल 2.0240है० प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह एवं इसी प्रकार चक 6 डीपीएन के खाता सं० 122 / 47 की कुल 0.1810है० में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीप व प्रतिवादी सं० 2 प्रदीप कुमार को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै०मु० खाता-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी.चन्देलिया)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़